6

मजिस्टेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

प्रस्तावना :

अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित फा. नं. 6 (2)/98–नालसा/1277 दिनांक 10 जून, 1998 के परिपालन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 5.11.2001 को सम्पन्न मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में संकल्प पारित कर अभिरक्षा में रह रहे बंदियों को सम्मानजनक जीवन जीने उनके मौलिक, वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं अभिरक्षा प्रदान करने के लिए रिमाण्ड, जमानत तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी करने व अपील/पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाकर अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार सुरक्षित होने के साथ ही उन्हें समानता के आधार पर न्याय दिलाए जाने हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" विरचित की गई है।

उद्देश्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (छ) के अंतर्गत जो व्यक्ति अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत किशोर गृह अथवा मनोचिकित्सीय अस्पताल मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में निरूद्ध है या परवीक्षाधीन बंदी है वह अपने प्रकरण प्रस्तुत करने व बचाव हेतु विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु अपनी असमर्थता या अन्य निर्योग्यता के कारण अपने बचाव हेतु अभिभाषक नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं और लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने, उनके मौलिक, वैधानिक एवं न्यायिक अभिरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे बंदियों को जो जेल में हैं उन्हें रिमांड

हेतु प्रस्तुत आवेदन के विरोध करने, जमानत हेतु आवेदन करने मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी करने तथा अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने हेतु "विधिक सहायता अधिवक्ता" नियुक्त किया जाकर उन्हें विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना है।

संक्षिप्त नाम :

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

परिभाषा :

अभिरक्षा :

अभिरक्षा से तात्पर्य पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा से है।

विधिक सहायता अधिवक्ता :

से तात्पर्य इस स्कीम के अन्तर्गत मजिस्ट्रियल कोर्ट हेतु नियुक्त अधिवक्ता से है।

स्कीम :

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बने उपबंध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु तैयार की गई स्कीम।

राज्य प्राधिकरण :

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से तात्पर्य मध्यप्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

मजिस्ट्रेट न्यायालय :

कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और उसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेत्तर कृत्यों के प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय से है।

विशेष न्यायालय :

से तात्पर्य उन न्यायालयों से है जो विशेष अधिनियम के अंतर्गत गठित है।

विधिक सहायता अधिवक्ता सूची तैयार करना :

प्रत्येक जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा विधिक सहायता अधिवक्ता की सूची तैयार की जावेगी। सूची में रखे जाने वाले विधिक सहायता अधिवक्ताओं की संख्या का निर्धारण जिला मुख्यालय व उसके बाहर की न्यायालयों (तहसील) न्यायालयों के कार्य के बोझ को देखकर किया जायेगा। सूची में ऐसे अधिवक्ता को रखा जावेगा जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के वकालत का अनुभव हो तथा विशेष न्यायालय के लिए 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो। पेनल अधिवक्ता रिमाण्ड के प्रकरण से लेकर परीक्षण के पूर्व तक न्यायालय में पैरवी कर सकेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रकरण सौंपना :

विधिक सहायता अधिवक्ता को क्रमबद्ध तरीके से रिमाण्ड के प्रकरण सौंपे जावेंगे। ऐसे अधिवक्ता जिन्हें प्रकरण क्रमानुसार सौंपे गये हैं और इस संबंध में उसकी सहमति हो और वह उपलब्ध न रहे तो दूसरे अधिवक्ता को क्रमानुसार प्रकरण सौंपा जावेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ताओं के कृत्य एवं दायित्व :

विधिक सहायता अधिवक्ता जिन्हें प्रकरण सौंपा गया है के निम्नानुसार कृत्य एवं दायित्व होंगे :–

1. अभिरक्षा के व्यक्ति के रिमाण्ड अवधि में नियुक्त (अटेच) विधिक सहायता अधिवक्ता को उस न्यायालय में उपस्थित रहना होगा, इसके लिए अन्य समयों में भी उपस्थित रहना होगा जैसे कि न्यायालय द्वारा उसे निर्देशित किया जावे।
2. जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है और न्यायालय में उसके रिमाण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध करने व उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर विधिक सहायता

अधिवक्ता आरोपी का बचाव भी करेगा। इसके अलावा परीक्षण न्यायालय के साथ–साथ अपील/पुनरीक्षण हेतु भी पैरवी कर सकेगा।

3. विधिक सहायता अधिवक्ता व्यक्ति के अभिरक्षा में प्रकरण के तफतीस के दौरान उसे जमानत पर छूटने तथा न्यायालय में मुल्जिम के विरूद्ध रिमाण्ड लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का विरोध करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

4. विधिक सहायता अधिवक्ता जिसे प्रकरण सौंपा गया है अपने कार्य पूर्ण करने के उपरांत इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को देगा।

अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को निम्नानुसार तीन स्तरों में विधिक सहायता प्रदान की जावेगी :

1. अभिरक्षा में प्रकरण के तफतीस के दौरान जमानत पर छूटने और प्रस्तुत रिमाण्ड का विरोध करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन का विरोध करने हेतु विधिक सहायता।
2. प्रकरण के परीक्षण के दौरान बचाव हेतु।
3. प्रकरण में विपरीत निर्णय होने पर न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने हेतु।

न्यायालय द्वारा प्रमाण–पत्र :

प्रकरण में नियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ता रिमाण्ड अवधि या अन्य अवधियों में जैसा कि उसे संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया हो, परीक्षण न्यायालय में पैरवी करने के अलावा अपील/पुनरीक्षण के अवधि मेंउसकी उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इस हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा और विहित प्रारूप में प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा। जिसके आधार पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जावेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को देय मानदेय :

विधिक सहायता अधिवक्ता को रिमाण्ड के प्रकरण में रूपये 100/– प्रति सुनवाई के मान से मानदेय देय होगा किन्तु यह राशि अधिकतम

रूपये 1500/– प्रतिमाह (बिना इसके कि कितने रिमाण्ड के प्रकरण किए हैं) होगी। यह मानदेय संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित करने पर ही देय होगा। विधिक सहायता अधिवक्ता को मानदेय संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत ही देय होगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता का कार्यकाल :

विधिक सहायता अधिवक्ता सूची का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। इसके बाद दूसरी विधिक सहायता अधिवक्ता सूची तैयार की जावेगी जिसमें पूर्व की सूची के अधिवक्ताओं के कार्यों का सत्यापन कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर किए जाने पर सम्मिलित किए जा सकेंगे।

अपील/पुनरीक्षण : कोई भी व्यक्ति पक्षकार न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण राज्य प्राधिकरण के निधि से तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने अपील/पुनरीक्षण योग्य अभिप्रमाणित न कर दिया जावे। ऐसी अपील/पुनरीक्षण अधिवक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत होगी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के अंतर्गत आवेदन धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को सूची से पृथक किया जाना :

जिला न्यायाधीश विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उस अधिवक्ता को सौंपे गए प्रकरण वापस लेकर उसका नाम संबंधित सूची से पृथक कर देगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निधियां :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक निधि बनाया रखा जावेगा जिसे जिला विधिक सहायता निधि कहा जावेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जावेंगे :–

1. ऐसी रकम या आवंटन जैसा कि उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस योजना के प्रयोजन हेतु आवंटित या स्वीकृत किया जाए।

2. ऐसी रकम या आवंटन जैसा कि इस योजना के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संदत्त सभी धनराशि या दिये गये अनुदान।

3. जिला विधिक सहायता निधि में जमा की गई यह रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की जावेगी।

व्यय अनुसूची तैयार करना एवं भुगतान :

जिला न्यायाधीश द्वारा विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों के लिए आकस्मिक व्ययों के लिए अनुसूची तैयार की जावेगी, और इस आकस्मिक निधि में से उपगत होने वाले व्ययों का भुगतान किया जावेगा।

लेखाओं का रखा जाना :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना में उपगत होने वाले व्यय पर सम्पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करेगा। वह प्रत्येक तीन माह में सही एवं उचित लेखे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रगति से अवगत कराना :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय व जिलान्तर्गत तहसील स्थित न्यायालयों के प्रगति विवरण एवं व्यय संबंधी जानकारी विहित प्रारूप में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक माह नियमित रूप से भेजी जावेगी।

कठिनाईयों का निवारण :

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता" योजना को क्रियान्वित करने की कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयों के निवारण का अधिकार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय को होगा।

नियुक्ति पत्र
प्रारूप

समक्ष न्यायालय _____ मजिस्ट्रेट _____

स्थान _____

श्री / श्रीमती / कुमारी _____

आत्मज / पत्नी / आत्मजा _____ आपराधिक

प्रकरण क्रमांक ..... के संबंध में अभिरक्षा में है .....

..... और विविध याचिका कोई हो

उसकी विविध याचिका क्रमांक ..... इस न्यायालय के अपराध

क्रमांक ..... इस न्यायालय में लंबित है। इस बन्दी ने पुरुष / स्त्री

अपने बचाव हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः

इस न्यायालय से संबद्ध श्री / श्रीमती / कुमारी .....

..... विधिक सहायता अधिवक्ता को नियुक्त कर उक्त बंदी का प्रकरण

आवश्यक विधिक मदद एवं बचाव के लिए जैसा कि इस प्रकरण में

वांछनीय है, सौंपा जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति .....

.....प्रकरण क्रमांक ..... को उक्त अधिवक्ता को

आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही जारी करती है।

हस्ता. – मजिस्ट्रेट

दिनांक .....

सील .....

उपस्थिति–प्रमाणपत्र
प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... इस न्यायालय से संबद्ध विधिक सहायता अधिवक्ता रिमाण्ड अवधि के दौरान ..... माह ..... के कार्य दिवसों के दौरान उपस्थित थे।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

सील .....

प्रगति पत्रक
प्रारूप

1. विधिक सहायता अधिवक्ता का नाम _____
2. न्यायालय पुरूष/स्त्री अधिवक्ता संबद्ध है _____

सौंपे गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों के प्रकार	सहायता प्राप्त व्यक्ति का नाम	लिंग एवं जाति	प्रकरणों के परिणाम	अग्रिम कार्यवाही जो की जानी ह	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

हस्ता. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

दिनांक .....

सील .....

भुगतान संबंधी प्रारूप

1. विधिक सहायता अधिवक्ता का नाम _____

2. न्यायालय जहां वह संबद्ध है _____

रिमाण्ड के समय भुगतान की गई राशि	प्रकरण क्रमांक अपील/यदि बचाव अथवा अपील आदि हेतु सौंपा गया है	खर्च हेतु भुगतान की गई रकम भुगतान की तिथि	फीस भुगतान की राशि भुगतान की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हस्ता. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण

दिनांक .....

सील .....